कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़ ।

e-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com दूरभाष/फैक्स नं0– ☎(05964)225234

पत्रांक 8190 / 12–1, पिथौरागढ़, दिनांक 16 जून, 2022 ।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।

विषयः– जनपद पिथौरागढ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत राईआगर–चौउमन्या मोटर मार्ग किमी0 2.00 से भूलकी अध्याली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.661 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन/हस्तान्तरण के सम्बन्ध मे।(ऑनलाईन प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/29012/2017)

सन्दर्भः– कार्या0 भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–केन्द्रीय क्षेत्र) के पत्रांक संख्या 08बी0/यू0सी0पी0/06/126/2018/एफ0सी0/2017 दिनांक 24/12/2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीया कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र), देहरादून द्वारा जनपद–पिथौरागढ के विकासखण्ड बेरीनाग मे प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत राईआगर–चौउमन्या मोटर मार्ग किमी0 2.00 से भूलकी अध्याली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.661 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध मे कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः–

क0 स0	भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत शर्ते	कृत कार्यवाही
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले दूगने क्षेत्रफल 9.3220 है0 सिविल भूमि ग्राम–भूलकी अध्याली सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुयें यथा संशोधित) जमा की जाएगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा।भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले दूगने क्षेत्रफल 9.3220 है0 सिविल भूमि ग्राम–भूलकी अध्याली सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुयें यथा संशोधित) जमा करा दी गई है। प्रपत्र संलग्न– 01 उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व हेतु जिलाधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण कि कार्यवाही की जा चुकी है। संलग्न–02
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0, दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0, दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जा चुकी है। संलग्न– 01
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है तो बढी दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय से वचनबद्वता प्रस्तुत की जाए।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है तो बढी दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। संलग्न– 03
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generateकिए	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online

	गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	Generate किए गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा करा दी गई है। चालान प्रति संलग्न– 04
5	सड़क निर्माण के पश्चात जहॉ–जहॉ सम्भव हो दोनो किनारो तथा central-verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देखरेख मेंstrip plantationकी जाऐगी,इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	सड़क निर्माण के पश्चात जहॉ–जहॉ सम्भव हो दोनो किनारो तथा central-verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देखरेख मेंstrip plantation की जाएगी। वचनबद्धता संलग्न– 05
6	State Govt. will correct the discrepancy of number of tress in online portal at para-4 (ii) Part II and submit in the hard copy.	The correct tree count list is attached. संलग्न–06
	अन्य आवश्यक शर्तेः–	
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।	वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी। संलग्न– 07
2	एन.पी.वी. की दरो में अगर बढोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।	एन.पी.वी. की दरो में अगर बढोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा। संलग्न– 08
3	प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 9.3220 है0 ग्राम–भूल की अध्याली सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।	प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 9.3220 है0 ग्राम–भूल की अध्याली सिविल एवं सोयम भूमि को संरक्षित वन घोषित करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है। संलग्न– 09
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के आस पास मजदूरों/स्टॉफ के लिए किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प स्थापित नहीं लगाया जाऐगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के आस पास मजदूरों/स्टॉफ के लिए किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प स्थापित नहीं लगाया जाएगा। संलग्न–10
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा। जिन पर Forwardएवं Back bearing अंकित किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तन हेतु वन भूमि का चार फीट ऊचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा। जिन पर Forwardएवं Back bearing अंकित किया जाएगा। संलग्न–11
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई, गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचें।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई, गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचें। संलग्न–12
7	परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।	परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी। संलग्न–13
8	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उददेश्य के लिए नही किया जाएगा तथा भूमि किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उददेश्य के लिए नही किया जाएगा तथा भूमि किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्वा अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा। संलग्न–14
9	कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 53 से अधिक न हो।	कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 53 से अधिक न हो। संलग्न–15
10	सड़क निर्माण के पश्चात जहॉ–जहॉ सम्भव हो दोनो किनारो तथा central-vergeपर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देखरेख मेंstripplantationकी जाऐगी	सड़क निर्माण के पश्चात जहॉ–जहॉ सम्भव हो दोनो किनारों तथा central-vergeपर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देखरेख मेंstripplantation की जाएगी। संलग्न–16
11	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की

	निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नही फेका जाएगा।	देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नही फेका जाएगा। वचनबद्धता संलग्न–17
12	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/ अनुदेश/आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है, तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/ न्यायालय आदेश/ अनुदेश/आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है, तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी। वचनबद्धता संलग्न– 18
13	ऐसी अन्य काई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझें।	ऐसी अन्य काई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझें वचनबद्धता संलग्न– 19

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़, वन प्रभाग पिथौरागढ़।

संख्याः–   /   दिनांकित।

प्रतिलिपिः–1. ब्रिडकुल–पी0एम0जी0एस0वाई0, पी0आई0यू0, बेरीनाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़, वन प्रभाग पिथौरागढ़।